निर्णय वइजलास श्री रामसिंह गुर्जर आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी छबडा जिला बारां द्वारा अध्यासित

प्रकरण संख्या 28 / 2023
दायरा दिनांकः–20.06.2023
निर्णय दिनांकः– 25.2.25

उनवान

1. गिर्राज आयु 55 साल पुत्र राजाराम जाति मेहर निवासी ग्राम कुलिन्जरा तहसील छबडा जिला बारां (राज0)
2. गुलाब बाई पत्नि स्वर्गीय राजाराम उम्र 75 साल जाति मेहर निवासी ग्राम कुलिन्जरा तहसील छबडा जिला बारां (राज0)
3. देशराज आयु 45 साल उम्र पुत्र राजाराम जाति मेहर निवासी ग्राम कुलिन्जरा तहसील छबडा जिला बारां (राज0)

बनाम

1. रामसिंह आयु 56 साल पुत्र कन्हीराम जाति मेहर
2. चतर आयु 35 साल पुत्र रामसिंह जाति मेहर
4. अन्ना आयु 25 साल पुत्र रामसिंह जाति मेहर निवासीगण ग्राम कुलिन्जरा तहसील छबडा जिला बारां (राज0)
5. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार छबडा जिला बारां (राज0)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर0 टी0 एक्ट0

निर्णय दिनांकः–25.2.25

अभिभाषक उपस्थितः–1. श्री भानु कुमार गुप्ता– प्रार्थी

अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 212 आर.टी.ए विरूद्ध अप्रार्थीगण के न्यायालय में इस आशय का पेश किया गया कि प्रार्थीगण के शामलाती खातेदारी अधिकार व कब्जे काश्त की भूमि खाता सं० नया 186 पुराना 179 में अंकित खसरा नं0 287/4 बाडी क्षेत्रफल ०. 0506 चाही 2 बाडी वाके ग्राम कुलीजरा तहसील छबडा जिला बारा राज० मे स्थित है। प्रार्थीगण का उपरोक्त आराजी पर शांतिपूर्ण तरीके से कब्जा काश्त चला आ रहा है। नकल जमाबन्दी प्रा० पत्र के साथ संलग्न है जो प्रा० पत्र का एक भाग हैं। अप्रार्थी कमांक 1 ता 3 बदमाश झगडालू किस्म के व्यक्ति है जो कि

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

उक्त आराजी पर से प्रार्थीगण को बेदखल करना चाहते है एवं ऐनकेन प्रकरेण प्रार्थी कमांक 1 ता 3 कई प्रभावशाली तरीके अपनाकर बलपूर्वक प्रार्थीगण के कब्जे काश्त की उक्त आराजी पर नाजायज कब्जा करने पर आमादा हैं। यदि अप्रार्थी क्रमांक 1 ता उद्वारा प्रार्थीगण की उक्त आराजी पर जबरन बलपूर्वक कब्जा कर लेंगे तो प्रार्थीगण के हितो पर विपरीत असर पडेगा एवं प्रार्थी के उक्त वर्णित आराजी से कब्जे के अधिकार समाप्त हो जायेंगे । अप्रार्थी क्रमाक 1 ता 3 को वादी के खाते की उक्त भूमि पर किसी प्रकार की दखलन्दाजी करने का कोई वैद्यानिक अधिकार प्राप्त नही है। प्रार्थीगणा ने अप्रार्थी कमांक 1 ता 3 को पिछले 2–3 सालो तक उक्त आराजी को मुनाफा काश्त पर दी थी मुनाफा काश्त पर काश्तकारी कार्य करते करते अप्रार्थी कमांक ता 3 के मन मे बदिनयती आ गयी एवं अब अप्रार्थी कमांक 1 ता 3 बलपूर्वक कळ करने पर आमादा है। दिनांक 10 अप्रेल 2023 को अप्रार्थी कमांक 1 ता 3 वादी की भूमि खाता सं० नया 186 पुराना 179 में अंकित खसरा नं0 287/4 बाडी क्षेत्रफल ०. 0506 चाही 2 बाडी वाके ग्राम कुलीजरा तहसील छबडा जिला बारा राज० मे स्थि है। प्रार्थीगण का उपरोक्त आराजी पर शांतिपूर्ण तरीके से कब्जा काश्त चला पर अनाधिकृत रूप कब्जा करने की गरज से ट्रेक्टर लेकर आ गये एवं प्रार्थीगण मना करने पर अप्रार्थी कमांक 1 ता 3 ने मां बहिन की फोश–2 गालिया निकाल यदि अप्रार्थी कमांक 1 ता 3 ने प्रार्थीगण की उक्त आराजी पर अनाधिकृत रूप से वादी को बेदखल कर कब्जा कर लिया तो प्रार्थीगण को अपूर्णनीय क्षति होगी जिसकी पूर्ति अर्थ से नही की जा सकेगी प्रार्थीगण को अनेकानेक वाद विवादो मे उलझना पडेगास वं वादीगण को प्राप्त खातेदारी अधिकारो का हनन होगा।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थीगण बावजूद सूचना के न्यायालय में उपस्थित नही होने के कारण उनके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही की गई। प्रार्थीगण द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में नकल जमाबन्दी ग्राम कुलिन्जरा सम्वत् 2074–77 खाता संख्या 186 पेश की गई।

बहस अभिभाषक प्रार्थी सुनी गई। बहस के दौरान वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराया गया। वकील प्रार्थी का कथन है कि विवादित आराजी वाके ग्राम कुलिन्जरा तहसील छबडा में स्थित है। जो प्रार्थीगण के शान्तिपूर्वक कब्जे काश्त में चली आ रही है अप्रार्थीगण प्रार्थीगण की भूमि पर जबरन कब्जा कर प्रार्थीगण को बेदखल करना चाहतें है अप्रार्थीगण को प्रार्थीगण की भूमि पर जबरन कब्जा कर बेदखल करने का कोई अधिकार नही है अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी को उनके खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि से बेदखल कर कब्जा कर लिया तों प्रार्थीगण को अपरिमित क्षति होगी। अप्रार्थीगण को पाबन्द फरमाया जावें। की वह प्रार्थी के खातेदारी एवं कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखल अन्दाजी नही करें प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावें।

बहस अभिभाषक प्रार्थी सुनी गई। पत्रावली एवं रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नकल जमाबन्दी ग्राम कुलिन्जरा सम्वत् 2074–77 खाता संख्या 186 के अनुसार विवादित आराजी प्रार्थीगण के खातेदारी में दर्ज होना पाया जाता है प्रार्थी द्वारा शांतिपूर्वक कब्जा काश्त होना बताया गया है एवं अप्रार्थीगण द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर अपने पक्ष के समर्थन में जवाब व दस्तावेजी साक्ष्य पेश नही किये। अप्रार्थीगण विवादित भूमि के खातेदार नही है और ना ही विवादित

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

उनके शामलाती खातेदारी की है ऐसी स्थिति में अप्रार्थीगण प्रार्थीगण के खातेदारी एवं जे काश्त में किसी प्रकार की दखल अन्दाजी करने कोई अधिकार नही है प्रथम दृष्टया केस प्रार्थीगण के पक्ष में है सुविधा का सन्तुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में है प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

:: क्रियात्मक आदेश ::

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है अप्रार्थीगण को ताफैसला वाद जर्ये अस्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि विवादित आराजी वाके ग्राम कुलिंजरा तहसील छबडा के खसरा नम्बर 287/4 रकबा 0.0506 है0 भूमि पर प्रार्थी के खातेदारी एवं कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखलअन्दाजी नही करें। ऐसा कृत्य ना तो स्वंय करें और ना ही अपने प्रतिनिधियों से करावें।

निर्णय लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रामसिंह गुर्जर) उपखण्ड अधिकारी
आर.ए.एस. छबड़ा (बारां)
उपखण्ड अधिकारी, छबडा